रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122021-232050 CG-DL-E-21122021-232050

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 715]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 21, 2021/अग्रहायण 30, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 21, 2021/AGRAHAYANA 30, 1943

No. 715]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

सं. 75/2021-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.िन. 874(अ).— जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतिश्मन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयाितत "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) घटक आर-32" (एतिश्मन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतिश्मन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ उप शीर्षक 2903 39 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अधिसूचना संख्या 6/33/2020-डीजीटीआर, दिनांक 23 सितंबर, 2021, जिसे दिनांक 24 सितंबर, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि -

- (i) विषयगत वस्तु का निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया था, जिसके कारण यहां इसकी भरमार हो गई;
- (ii) इसके कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
- (iii) विषयगत उत्पाद की भरमार होने और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के बीच एक सीधा संबंध देखा जा सकता है;

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

7449 GI/2021 (1)

अत:, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षिति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्र.सं.	शीर्षक	विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	290339	हाइड्रोफ्लोरो कार्बन (एचएफसी) घटक आर-32	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	शेडोंग डोंग्यू केमिकल कं, लिमिटेड	1,171.78	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2.	290339	हाइड्रोफ्लोरो कार्बन (एचएफसी) घटक आर-32	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	झेजियांग क्यूज़ोऊ जुक्सिन फ्लोरीन केमिकल कं, लिमिटेड	1,394.96	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3.	290339	हाइड्रोफ्लोरो कार्बन (एचएफसी) घटक आर-32	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	जियांगसू सनमी रासायनिक उद्योग कं, लिमिटेड और किंगलिउ दोनिंयग रासायनिक उद्योग कं,	1,344.60	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4.	290339	हाइड्रोफ्लोरो कार्बन (एचएफसी) घटक आर-32	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	ज़िबो फीयुआन केमिकल कं, लिमिटेड	1,255.05	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5.	290339	हाइड्रोफ्लोरो कार्बन (एचएफसी) घटक आर-32	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	क्रमिक संख्या 1 से 4 . के अलावा कोई अन्य	1,519.70	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

6.	290339	हाइड्रोफ्लोरो	चीन जनवादी	चीन	कोई भी	1,519.70	मीट्रिक	अमेरिकी
		कार्बन	गणराज्य से भिन्न	जनवादी	उत्पादक		टन	डॉलर
		(एचएफसी)	कोई भी देश	गणराज्य				
		घटक आर-32						

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की अविध तक (यिद इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/244/2021-टीआरयू अनुभाग -सीबीईसी] राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2021

No. 75/2021-Customs (ADD)

- **G.S.R. 874(E).**—Whereas, in the matter of "Hydrofluorocarbon (HFC) Component R-32" (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff sub-heading 2903 39 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from the China PR (hereinafter referred to as the subject country) and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification File No. 6/33/2020-DGTR, dated the 23rd September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 24th June, 2021, has come to the conclusion that-
 - (i) the product under consideration has been exported at a price below normal value, thus resulting in dumping;
 - (ii) the domestic industry has suffered material injury;
 - (iii) there is causal link between dumping of product under consideration and injury to the domestic industry,

and has recommended imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff sub-heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely:-

TABLE

SN	Sub- Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	290339	Hydrofluorocarbon Component R-32	China PR	Any country including China PR	Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd.	1,171.78	MT	US\$
2	290339	Hydrofluorocarbon Component R-32	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Quzhou Juxin Fluorine Chemical Co., Ltd.	1,394.96	MT	US\$
3	290339	Hydrofluorocarbon Component R-32	China PR	Any country including China PR	Jiangsu Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd. and Fujian Qingliu Dongying Chemical Ind. Co., Ltd;	1,344.60	MT	US\$
4	290339	Hydrofluorocarbon Component R-32	China PR	Any country including China PR	Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd.	1,255.05	MT	US\$
5	290339	Hydrofluorocarbon Component R-32	China PR	Any country including China PR	Any other than S. No. 1to 4	1,519.70	MT	US\$
6	290339	Hydrofluorocarbon Component R-32	Any other country other than China PR	China PR	Any	1,519.70	MT	US\$

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC-190354/244/2021-TRU Section-CBEC] RAJEEV RANJAN, Under Secy.